प्रेस विज्ञप्ति

13.08.2026

जयेश तन्ना एवं साई ग्रुप ऑफ एंटिटीज के मामले में ईडी ने विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 31.07.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष जयेश विनोद तन्ना, दीप विनोद तन्ना, विवेक जयेश तन्ना तथा **साई ग्रुप** के 07 अन्य संस्थाओं के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। यह परिवाद पीएमएलए, 2002 की धारा 3 सहपठित धारा 70 के अंतर्गत परिभाषित तथा धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय धन शोधन के अपराध के संबंध में दायर किया गया है। माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय ने मामले में सभी आरोपियों को संज्ञान-पूर्व नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।

ईडी ने वर्ष 2024 में मुंबई पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट, 1963 (मोफा) की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जयेश विनोद तन्ना, दीप विनोद तन्ना (साई ग्रुप ऑफ एंटिटीज के प्रमोटर्स) एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की थी। इसके पश्चात, ऐसे 17 एलईए मामलों में से 14 मामलों में मुंबई पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दायर किए जा चुके हैं।

ईडी की जांच में यह उजागर हुआ कि साई ग्रुप ऑफ एंटिटीज के प्रमोटर्स ने अपनी प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजनाओं में फ्लैट/दुकान खरीदारों की धनराशि को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए डायवर्ट करने हेतु विभिन्न अनियमित तरीकों का सहारा लिया। इसके परिणामस्वरूप परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकीं तथा मुंबई महानगरीय क्षेत्र (डी एन नगर, अंधेरी, कांदिवली एवं गोरेगांव) की विभिन्न परियोजनाओं में खरीदारों, पुराने किरायेदारों (मूल सोसायटी सदस्यों) और निवेशकों को कुल 43.73 करोड़ रुपये की गलत तरीके से हानि हुई।

इससे पूर्व, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के अंतर्गत 43.73 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों (अपराध से अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करने वाली) को कुर्क किया है। इनमें मुंबई एवं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिलों में स्थित मामले के आरोपियों से संबंधित अचल संपत्तियां तथा यूनाइटेड किंगडम (यूके) में स्थित एक अचल संपत्ति शामिल हैं।